

कार्यालय-निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

—:संशोधन-आदेश:—

विभाग द्वारा जारी निम्नांकित अधिकारी के राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त (अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर) संबंधित समेकित आदेश में, निम्नानुसार कॉलम संख्या-6 में उल्लिखितानुसार आंशिक संशोधन एतद् द्वारा किया जाता है:-

क्र. सं.	विभाग का पूर्व में जारी आदेश क्रमांक व दिनांक	नाम अधिकारी मय धारित पद व पदस्थापन स्थान	जन्म दिनांक	सेवानिवृत्ति दिनांक	अपेक्षित आंशिक संशोधन
I	II	III	IV	V	VI
1	शिविरा-माध्य / संस्था / बी-2 / 45001 / सेवानिवृत्तियां-प्रधानाचार्य / 22-23 / 1-602 दिनांक 22.02.2022	श्री कृष्ण लाल, प्रधानाचार्य मेरामचन्द हुण्डिया राबाउमावि मोकलसर सिवाना, बाड़मेर।	09-10-1962	31-10-2022	कार्मिक के संबंध में जारी सेवानिवृत्ति आदेश दिनांक 22.02.2022 में क्र.सं. 380 पर अंकित कार्मिक का नाम कृष्ण लाल जांगिड़ (KRISHAN LAL JANGID) के स्थान पर कृष्ण लाल (KRISHAN LAL) पढ़ा जावे।

शेष शर्तें मूल आदेशानुसार यथावत रहेंगी।

संयुक्त निदेशक-कार्मिक
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक:-शिविरा/माध्य/संस्था/बी-1,2/45001/प्रधानाचार्य/से.नि.संशोधन/2022/10 दिनांक:-19/07/2022
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

- 1 संबंधित अतिरिक्त निदेशक पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग ।
- 2 संबंधित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, ।
सिस्टम एनालिस्ट कम प्रोग्रामर(संयुक्त निदेशक)कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को आदेश की प्रति सहित
- 3 विभागीय वेबसाइट पर अपलोड हेतु।
- 4 संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा।
- 5 संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ।
- 6 संबंधित संस्था प्रधान /कार्मिक।
- 7 रक्षित पत्रावली ।

संयुक्त निदेशक-कार्मिक